(285)

398

III/निग०/सिंगरौली/भू-रा०/2017/3225

विलोपित/विलोपित

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर,

विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित विलोपित

1- अवध बिहारी तनय रामजतन उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम कसर, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली म0प्र0,

2- रामखेलावन तनय रामजतन नाई, निवासी ग्राम कसर, तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली म0प्र0,

3- राम प्रताप तनय रामजतन नाई निवासी ग्राम कसर, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली म0प्र0 (पूर्व जिला सीधी)----------निगरानी कर्तागण

बनाम

1- नरायणदास तनय जियालाल बैस, निवासी ग्राम रामगढ़, तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली म0प्र0,

---गैर निगरानी कर्तागण

2- शासन म0प्र0 -

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (दण्डाधिकारी) महोदय देवसर/चितरंगी जिला सिंगरौली म0प्र0, प्रकरण क्र. 72/अपील/2003-04 मे पारित आदेश दिनांक 30.08.17, अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959.।

===

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2:- यह कि भूमि नं. 662,663 अपीलार्थी के यानी आवेदकगण के स्वत्व तथा अधिपत्य की भूमियां है, जिसका धारा 89 के अन्तर्गत प्रकरण प्रस्तुत किया गया, आवेदकगण के विरुद्ध आदेश होने पर प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, ।

(285)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 / 3225–III / 2017 जिला–रीवा

अवधबिहारी / नारायणदास वैस

(1)	(2)	(3)
24.04.19	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील चितरंगी / देवसर के प्रकरण क्रमांक 72 / अपील / 2003–04 में पारित आदेश दिनांक 30.08.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2. यह प्रकरण दिनांक 16.07.19 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	